

वित्त मंत्रालय

आयकर विभाग ने करदाता को परेशान करने वाले अधिकारी को निलंबित किया

Posted On: 08 DEC 2017 4:00PM by PIB Delhi

गुजरात के सुरेन्द्रनगर जिले में एक करदाता को गलत इरादे से परेशान करने के संबंध में आयकर उपायुक्त श्री डी. के. मीणा के खिलाफ गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई। अधिकारी पर आरोप था कि उसने कर निर्धारण आकलन अनुकूल तरीके से पूरा करने के लिए करदाता के चार्टर्ड एकाउंटेंट के जिरये गैर कानूनी अनुग्रह की मांग की। दोनों के बीच बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिली है जिसमें अन्य बातों के अलावा विभाग के अधिकारी द्वारा मामले को निपटाने के लिए मांगी गई रिश्वत का भी जिक्र है।

आरोपों की सत्यता की पुष्टि के लिए सीबीडीटी के सतर्कता निदेशालय ने तत्काल रिकॉर्ड मंगवाए। मामले से जुड़े रिकॉर्डों की जांच करने पर गंभीर चूकें और अनियमितताएं पाई गईं जिससे अधिकारी के खिलाफ आरोपों में दम दिखाई दिया। मामले की जांच चल रही है।

विभाग इस तरह की अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करता। जांच लंबित होने के कारण अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है।

**

वीएल/एएम/केपी-5777

(Release ID: 1512076) Visitor Counter: 26









In